


20.3.25

वकील जायी उपस्थित। वकील जायी द्वारा डिप्टी
अनुयायक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना बताया। प्रथम
पत्र में कोई आपत्ति शेष नहीं होने पर प्रथम पत्र
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से सफ होकर
दारीवली इफ्तदा हो।
आदेश लेते इकलाफ हुनापर गजा।

~~2025/107~~

GICMS
2025/107


उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)

